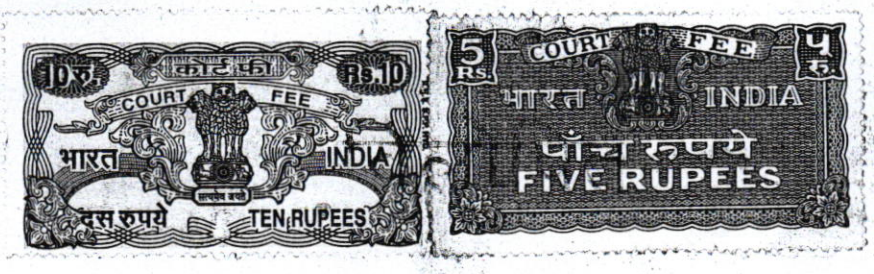

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA Rs. 10 दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA 5 Rs. पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. / 12/निगरानी — R-2783-II/12

जसराजसिंह पुत्र ऊधमसिंह यादव

नि0 ग्राम खिरिया तहसील शाढौरा

जिला अशोकनगर - प्रार्थी

बनाम

लटूरा पुत्र मुल्ला, निवासी गूगोर

माफी तहसील शाढौरा जिला अशोकनगर

नगर म0प्र0 - प्रतिप्रार्थी

श्री ओ० पी० शर्मा, अभि० द्वारा आज दि. 29-8-12 को प्रस्तुत
29-8-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

O.P. Sharma
29-8-2012

निगरानी प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोक नगर के प्र.क्र. 76/10-11/निगरानी मे पारित आदेश दिनांक 30/06-12 अन्तर्गतधारा 50 रे.को.

महोदय,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

1- यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, का आदेश अभिलेख एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यहकि, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने अपने पिता ऊधमसिंह की स्वत्व स्वामित्व की भूमि बाबत सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया इस कारण कि उसके पिता का देहान्त हो गया था प्रतिप्रार्थी को आपत्ति सीमांकन मे विवादित भूमि के संबंध मे कोई अधिकार नही थे और प्रति प्रार्थी को जिस भूमि का पट्टा दिया गया था वह भूमि ग्राम गूगोर माफी की थी न कि ग्राम खिरिया तेल इस कारण विचारण न्यायालय

(32)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2783–दो/2012 जिला–अशोकनगर

जसराज सिंह विरूद्ध लटूरा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-03-18	आवेदक की ओर से श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया एवं अनावेदक की ओर से श्री कुंअर सिंह कुशवाह अधिवक्ता उपस्थित। 2– यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 76/10–11/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.06.2012 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 3/ प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में वहीं तथ्य दुहराए गये जो निगरानी मेमो में अंकित किए गये हैं उनके द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाए गये थे, जिनका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित कर दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु उन विचार किया जा रहा	

है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

4– प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा उन पर विचार किया गया। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यो के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के अभिलेखों में उपस्थित समस्त तथ्यों के संबंध में विस्तृत विष्लेशण कर सारगर्भित व्याख्या की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी विवेचना एवं व्याख्या को यहां पुनः दुहराया जाकर पुनरांकित नहीं किया जा रहा है किन्तु उस पर विचार किया जा रहा है।

5– विचारोपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.06.2012 के पैरा 3 में की गयी व्याख्या एवं विष्लेशण के आधार पर लिया गया निर्णय इस आदेश का भाग माना जावेगा। इस प्रकार प्रश्नाधीन आदेश के पैरा 3 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय बैधानिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय

प्रकरण क्रमांक निग0 2783–दो/2012 जिला–अशोकनगर

जसराज सिंह विरूद्ध लटूरा

का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.06.2012 स्थिर रखा जाता है। प्रभावित पक्षकार यदि आवश्यक समझें तो वे सक्षम अधिकारी के समक्ष सीमांकन का पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नये सिरे से सीमांकन कराए जाने की कार्यवाही कर सकते हैं साथ ही तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रभावित पक्षकारों द्वारा पुनः सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में सर्व संबंधित सरहदी कृषकों को विधिवत सूचना पत्र जारी कर उन्हें पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों के तहत सीमांकन की कार्यवाही करे। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। प्रकरण दा0रि0हो।

(डॉ0एम0के0 अग्रवाल)
सदस्य